

उत्तराखण्ड में खुलेगा पहला सरकारी ड्रोन संस्थान व रपियरिंग सेंटर

चर्चा में क्यों?

2 दिसंबर, 2022 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखण्ड में ड्रोन की मदद से वभिगों के काम आसान करने और युवाओं के लिये रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिये राज्य सरकार ड्रोन संस्थान खोलेगी। इससे ड्रोन के नरिमाण, संचालन और मरम्मत की राह आसान हो जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- जानकारी के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए) ने उत्तराखण्ड में ड्रोन के नरिमाण से लेकर रपियरिंग, नविशकों को आकर्षित करने के लिये ड्रोन पॉलिसी बनाकर शासन को भेजी है। पॉलिसी में तेलंगाना की ड्रोन पॉलिसी की तरज पर कई अहम बदलाव कथि गए हैं। ड्रोन पॉलिसी पर सरकार जल्द कैबिनेट में नरिणय ले सकती है।
- इसके तहत ड्रोन कॉरडिओर के अलावा सरकारी ड्रोन संस्थान, रपियरिंग सेंटर खोलने का भी प्रावधान कथि जा रहा है।
- जानकारी के अनुसार ऐसा ड्रोन इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा जो युवाओं को ट्रेनिंग संग सरकारी वभिगों में ड्रोन की जरूरतों को चहिनति करेगा। इसकी मदद से वभिग ड्रोन से अपने काम आसान कर सकेंगे। वहीं, प्रदेश में ड्रोन रपियरिंग सेंटर भी खोले जा सकेंगे।
- ड्रोन पॉलिसी में यह प्रावधान कथि गया है कि ड्रोन नरिमाता और सेवा प्रदाता अपने उत्पाद का नशुल्क ट्रायल कर सकेंगे। इसके लिये फ्री फ्लाई ज़ोन तैयार कथि जाएगा। ड्रोन के टेकऑफ और लैंडिंग के लिये एयरस्ट्रपि, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, मेकेनिकल और इलेक्ट्रिकल लैब, हैंगर, ट्रेनिंग, हेलीपैड, सपोर्ट स्पेशलिस्ट, रचिार्जगि स्टेशन आदि की सुवधि दी जाएगी।
- पॉलिसी में यह भी प्रावधान कथि गया है कि सरकार एक फेसलिटेशन सेल खोलेगी जिसमें ड्रोन के लाइसेंस और पंजीकरण की सुवधि मिलेगी। सरकार का मकसद है कि डीजीसीए के नयिमें का अनुपालन सखती से हो और ड्रोन को बढ़ावा भी मिले। यह सेल ड्रोन नरिमाण के परमटि में भी मदद करेगी।
- ड्रोन की सुरक्षति उड्डान को लेकर रटियरड आरमी अफसरों, जवानों और पुलसिकर्मयिों की मदद से स्पेशल एडवाइजरी बोर्ड का गठन कथि जाएगा। यह बोर्ड सेना के अपने अनुभवों के आधार पर ड्रोन की सुरक्षति उड्डान को लेकर जरूरी सलाह देगा।
- प्रदेश के सरकारी और नजि इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटिकनकि संस्थानों में भी आईटीडीए की मदद से युवाओं को ड्रोन संचालन और रखरखाव की ट्रेनिंग दी जाएगी। एरयिल फोटोग्राफी, सर्वलिांस, रमिोट सेंसगि को लेकर वशिष प्रोग्राम संचालति कथि जाएंगे। ड्रोन इंजीनियरिंग में काम कर रहे वशिषवदियालय से भी समझौता कथि जाएगा। ड्रोन के रसिर्च को बढ़ावा दथि जाएगा।
- नरिमाताओं को लाभ-
 - एक नशिचति अवधतिक नरिमाताओं को एसजीएसटी में 100 प्रतशित छूट दी जा सकती है।
 - वह अधिकितम पाँच करोड़ रुपए तक नविश कर सकते हैं।
 - उन्हें प्रोजेक्ट में 25 फीसदी की सब्सडि दी जाएगी, जो अधिकितम तीन करोड़ तक होगी।
 - 10 साल तक लीज़ या करिये पर 30 प्रतशित सब्सडि मिलेगी।
 - ज़मीन खरीदने पर स्टॉप शुल्क में 100 प्रतशित छूट जैसे प्रावधान।
- सेवा प्रदाताओं को लाभ-
 - 50 लाख तक के नविश पर 25 प्रतशित सब्सडि,
 - पाँच लाख तक के लीज़ या करिये पर 30 प्रतशित सब्सडि,
 - कई प्रदर्शनयिों में ड्रोन का स्टॉल लगाने पर कोई शुल्क नहीं लथि जाएगा।
 - इंटरनेट शुल्क में 100 प्रतशित तक छूट,
 - राज्य सरकार की ओर से चहिनति क्षेत्र में रसिर्च पर 10 लाख रुपए तक की ग्रांट मिलेगी।